

# गाँव गरीबी उन्मूलन परियोजना प्रारूप

## समूह स्तरीय डाटा एकत्रीकरण प्रारूप

समूह स्तर का डाटा दो भागों में एकत्र किया जाता है

अ.हकदारी योजना

ब. आजीविका योजना

## 1. हकदारी योजना डाटा एकत्र प्रारूप

1	मनरेगा (MGNREGA)
1.1	मनरेगा- जॉब कार्ड
1.2	मनरेगा- कार्य की मांग
1.2.1	मनरेगा – व्यक्तिगत कार्य की मांग
1.2.2	मनरेगा – सामुदायिक कार्य की मांग
2	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP)
2.1	वृद्धावस्था पेंशन (Old age Pension)
2.2	विधवा पेंशन (Widow Pension)
2.3	विकलांग पेंशन (Disability Pension)
3	स्वच्छ भारत मिशन (SBM)
4	स्वास्थ्य कार्ड (Health Card)
5	उज्ज्वला योजना (LPG)
6	राशन कार्ड (Ration Card)
7	प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य)
8	प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)
9	प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY)
10	प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY)

## 1. मनरेगा

### 1.1 मनरेगा जॉब कार्ड

स्वयं सहायता समूह का नाम :			
ग्राम संगठन का नाम :			
ग्राम पंचायत का नाम :			
क्रम संख्या	लाभार्थियों के नाम (प्राथमिकता के क्रम में)	घर के मुखिया का नाम	वार्ड संख्या और नाम
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

स्वयं सहायता समूह का नाम :

ग्राम संगठन का नाम :

ग्राम पंचायत का नाम :

क्रम संख्या	क्रम संख्या	क्रम संख्या	क्रम संख्या
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

स्वयं सहायता समूह का नाम :			
ग्राम संगठन का नाम :			
ग्राम पंचायत का नाम :			
क्रम संख्या	क्रम संख्या	क्रम संख्या	क्रम संख्या
19			
20			

**प्रशिक्षक हेतु (Facilitator's note) :**

1. कृपया केवल उन व्यक्तियों का विवरण लिखें जो नए जॉब कार्ड के लिए आवेदन देना चाहते हैं।
2. 'लाभार्थियों के नाम' के कॉलम में (प्राथमिकता के क्रम में) : कृपया पात्रता रखनेवाले स्वयं सहायता समूह के सदस्य का नाम भरें, जिसे नया जॉब कार्ड चाहिए। नाम को प्राथमिकता वाले क्रम में लिखें। सुनिश्चित करें कि प्रविष्टियां प्राथमिकता के क्रम में इस तरह से हों कि कमजोर वर्ग और सबसे गरीब को उच्च प्राथमिकता मिले।
3. योजना में आवेदन करने के लिए लाभार्थियों के पास राशन कार्ड जैसी पहचान का वैध प्रमाण होना चाहिए।
4. परिवार के 'अभिभावक के नाम' के कॉलम में : कृपया लाभार्थी के घर के पिता / पति / मुखिया का नाम भरें।
5. 'वार्ड संख्या और नाम' के कॉलम में : कृपया लाभार्थी के निवास स्थान की वार्ड संख्या और उसका नाम भरें।

## 1.2 मनरेगा कार्य की मांग

### 1.2 .1 मनरेगा कार्य की मांग - व्यक्तिगत कार्य की मांग

स्वयं सहायता समूह का नाम :

ग्राम संगठन का नाम :

ग्राम पंचायत का नाम :

क्रम संख्या	कार्य का नाम	माँगे गए कार्य का विवरण	लाभार्थी का नाम (प्राथमिकता के क्रम में)	घर के मुखिया का नाम	वार्ड संख्या और नाम	प्राथमिकता का दर्जा (GP समेकन और प्राथमिकता बैठक के दौरान भरा जाना है)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

स्वयं सहायता समूह का नाम:

ग्राम संगठन का नाम:

ग्राम पंचायत का नाम:

क्रम संख्या	कार्य का नाम	माँगे गए कार्य का विवरण	लाभार्थी का नाम (प्राथमिकता के क्रम में)	घर के मुखिया का नाम	वार्ड संख्या और नाम	प्राथमिकता के अनुसार (GP समेकन और प्राथमिकता बैठक के दौरान भरा जाना है)
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

**मनरेगा व्यक्तिगत कार्य की मांग प्रारूप को भरने के लिए प्रशिक्षक के नोट:**

कृपया केवल उन व्यक्तियों का विवरण नोट करें जो MGNREGS के तहत काम की मांग करना चाहते हैं।

प्रशिक्षक को व्यक्तिगत और सामुदायिक कार्यों के लिए राज्य की स्वीकार्य कार्य सूची (State permissible work list) का उल्लेख करना चाहिए। मांगे गए कार्य राज्य की स्वीकार्य कार्य सूची (State permissible work list) के आधार पर होनी चाहिए।

1. 'कार्य का नाम' कॉलम में : लाभार्थी द्वारा मांगे जाने वाले काम का नाम भरें। उदाहरण के लिए, कैटल शेड, पोल्ट्री शेड आदि।
2. 'मांगे गए कार्य का विवरण' कॉलम में: कृपया कार्य का प्रकार, कार्य का स्थान आदि का विवरण भरें। उदाहरण के लिए: शम् किराना की दुकान, वार्ड 6 के पीछे, सीता के घर पर कैटल शेड।
3. 'लाभार्थियों के नाम (प्राथमिकता के क्रम में)' कॉलम में : कृपया उस पात्र समूह सदस्य का नाम भरें जिसने मनरेगा के काम की मांग की है। नाम को प्राथमिकता वाले क्रम में लिखना होगा। सुनिश्चित करें कि प्रविष्टियों को प्राथमिकता के क्रम में रखा जाए, जिसमें सबसे कमजोर और सबसे गरीब को उच्च प्राथमिकता दी जाए है।
4. 'घर के मुखिया का नाम' कॉलम में : कृपया लाभार्थी के घर के मुखिया/ पिता / पति का नाम भरें।
5. 'वार्ड संख्या और नाम' कॉलम में : कृपया लाभार्थी के निवास स्थान के वार्ड का नाम और संख्या भरें।
6. 'प्राथमिकता के अनुसार' कॉलम में : यह कॉलम GP स्तर पर आयोजित होने वाली समेकन और प्राथमिकता बैठक के दौरान ही भरा जाना चाहिए। GP स्तर पर एक समेकन और प्राथमिकता बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक के दौरान, प्राथमिकता को दर्शाने के लिए रैंकिंग अभ्यास किया जाएगा। सुनिश्चित करें कि SHG स्तर का डाटाएकत्र करने के दौरान इस कॉलम को खाली छोड़ा जाए।



1.2 .2 मनरेगा कार्य की मांग - सामुदायिक कार्य की मांग

स्वयं सहायता समूह का नाम :				
ग्राम संगठन का नाम :				
ग्राम पंचायत का नाम :				
क्रम संख्या	कार्य का नाम (प्राथमिकता के क्रम में)	माँगे गए कार्य का विवरण	माँगे गए कार्य की वार्ड संख्या और नाम	प्राथमिकता का दर्जा (GP समेकन और प्राथमिकता बैठक के दौरान भरा जाना है)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

स्वयं सहायता समूह का नाम :

ग्राम संगठन का नाम :

ग्राम पंचायत का नाम :

क्रम संख्या	कार्य का नाम (प्राथमिकता के क्रम में)	माँगे गए कार्य का विवरण	माँगे गए कार्य की वार्ड संख्या और नाम	प्राथमिकता का दर्जा (GP समेकन और प्राथमिकता बैठक के दौरान भरा जाना है)
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

स्वयं सहायता समूह का नाम :

ग्राम संगठन का नाम :

ग्राम पंचायत का नाम :

क्रम संख्या	कार्य का नाम (प्राथमिकता के क्रम में)	माँगे गए कार्य का विवरण	मांग किये गए कार्य की वार्ड संख्या और नाम	प्राथमिकता का दर्जा (GP समेकन और प्राथमिकता बैठक के दौरान भरा जाना है)
17				
18				
19				
20				

**मनरेगा सामुदायिक कार्य मांग प्रारूप को भरने के लिए प्रशिक्षक के नोट :**

कृपया केवल उन व्यक्तियों का विवरण नोट करें जो MGNREGS के तहत कार्य की मांग करना चाहते हैं। प्रशिक्षक को व्यक्तिगत और सामुदायिक कार्यों के लिए राज्य की स्वीकार्य कार्य सूची (State permissible work list) का उल्लेख करना चाहिए। मांगे गए कार्य राज्य की स्वीकार्य कार्य-सूची के आधार पर होने चाहिए।

- 1) सुनिश्चित करें कि प्रविष्टियों को प्राथमिकता के क्रम में रखा जाए, जिसमें कमजोर वर्ग और सबसे गरीब को उच्च प्राथमिकता दी जाती।
- 2) 'कार्य का नाम' के कॉलम में (प्राथमिकता के क्रम में) : कृपया मांगे गए सामुदायिक कार्यों के नाम प्राथमिकता के क्रम में भरें।
- 3) 'मांगे गए कार्य के विवरण' के कॉलम में : कृपया कार्य का प्रकार, कार्य का स्थान आदि का विवरण भरें।
- 4) 'मांगे गए कार्य की वार्ड संख्या और नाम' के कॉलम में : मांगे गए कार्य के स्थान का वार्ड नाम और संख्या भरें।
- 5) 'प्राथमिकता के अनुसार' के कॉलम में: यह कॉलम ग्राम पंचायत (GP) स्तर पर आयोजित होने वाली समेकन और प्राथमिकता बैठक के दौरान ही भरा जाना चाहिए। GP स्तर पर एक समेकन और प्राथमिकता बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक के दौरान, प्राथमिकता को दर्शाने के लिए रैंकिंग अभ्यास किया जाएगा। सुनिश्चित करें कि SHG स्तर का डाटाएकत्रित करने के दौरान इस कॉलम को खाली छोड़ा जाए।

## 2. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम -NSAP\* (पेंशन)

\*यहाँ केवल तीन पेंशनों का उल्लेख है, यदि राज्य में कोई अन्य योजना है तो उसके अनुसार कॉलम को बढ़ाया जा सकता है

### 2.1 वृद्ध पेंशन

स्वयं सहायता समूह का नाम :					
ग्राम संगठन का नाम:					
ग्राम पंचायत का नाम:					
क्रम संख्या	SHG सदस्य /परिवार के सदस्य का नाम जो पेंशन के योग्य हैं (प्राथमिकता के क्रम में)	SHG सदस्य का नाम	घर के मुखिया का नाम	वार्ड संख्या और नाम	प्राथमिकता का दर्जा (GP समेकन और प्राथमिकता बैठक के दौरान भरा जाना है)
1					
2					
3					
4					
5					
6					

स्वयं सहायता समूह का नाम :

ग्राम संगठन का नाम:

ग्राम पंचायत का नाम:

क्रम संख्या	SHG सदस्य /परिवार के सदस्य का नाम जो पेंशन के योग्य हैं (प्राथमिकता के क्रम में)	SHG सदस्य का नाम	घर के मुखिया का नाम	वार्ड संख्या और नाम	प्राथमिकता का दर्जा (GP समेकन और प्राथमिकता बैठक के दौरान भरा जाना है)
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

स्वयं सहायता समूह का नाम :

ग्राम संगठन का नाम:

ग्राम पंचायत का नाम:

क्रम संख्या	क्रम संख्या	क्रम संख्या	क्रम संख्या	क्रम संख्या	क्रम संख्या
16					
17					
18					
19					
20					

## 2.2 विधवा पेंशन

स्वयं सहायता समूह का नाम :					
ग्राम संगठन का नाम :					
ग्राम पंचायत का नाम :					
क्रम संख्या	SHG सदस्य /परिवार के सदस्य का नाम जो पेंशन के योग्य हैं (प्राथमिकता के क्रम में)	SHG सदस्य का नाम	घर के मुखिया का नाम	वार्ड संख्या और नाम	प्राथमिकता का दर्जा (GP समेकन और प्राथमिकता बैठक के दौरान भरा जाना है)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					



स्वयं सहायता समूह का नाम :

ग्राम संगठन का नाम:

ग्राम पंचायत का नाम:

क्रम संख्या	SHG सदस्य /परिवार के सदस्य का नाम जो पेंशन के योग्य हैं (प्राथमिकता के क्रम में)	SHG सदस्य का नाम	घर के मुखिया का नाम	वार्ड संख्या और नाम	प्राथमिकता का दर्जा (GP समेकन और प्राथमिकता बैठक के दौरान भरा जाना है)
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

स्वयं सहायता समूह का नाम :

ग्राम संगठन का नाम:

ग्राम पंचायत का नाम:

क्रम संख्या	SHG सदस्य /परिवार के सदस्य का नाम जो पेंशन के योग्य हैं (प्राथमिकता के क्रम में)	SHG सदस्य का नाम	घर के मुखिया का नाम	वार्ड संख्या और नाम	प्राथमिकता का दर्जा (GP समेकन और प्राथमिकता बैठक के दौरान भरा जाना है)
19					
20					

## 2.3 विकलांगता पेंशन

स्वयं सहायता समूह का नाम :

ग्राम संगठन का नाम :

ग्राम पंचायत का नाम :

क्रम संख्या	SHG सदस्य /परिवार के सदस्य का नाम जो पेंशन के योग्य हैं	SHG सदस्य का नाम	वार्ड संख्या और नाम	प्राथमिकता का दर्जा (GP समेकन और प्राथमिकता बैठक के दौरान भरा जाना है)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

स्वयं सहायता समूह का नाम :

ग्राम संगठन का नाम :

ग्राम पंचायत का नाम :

क्रम संख्या	SHG सदस्य /परिवार के सदस्य का नाम जो पेंशन के योग्य हैं	SHG सदस्य का नाम	वार्ड संख्या और नाम	प्राथमिकता का दर्जा (GP समेकन और प्राथमिकता बैठक के दौरान भरा जाना है)
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

**राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) प्रारूप को भरने के लिए प्रशिक्षक के नोट:**

1. कृपया केवल उन व्यक्तियों का विवरण नोट करें जो पेंशन के पात्र हैं।
2. NSAP घरेलू स्तर का डाटा है जिसमें योग्य परिवार के सदस्यों का नाम स्वयं सहायता समूह सदस्य / परिवार के सदस्य का नाम जो पेंशन के पात्र हैं कॉलम में जोड़ा जा सकता है।।
3. सुनिश्चित करें कि प्रविष्टियों को प्राथमिकता के क्रम में बनाया जाए, जिसमें कमजोर वर्ग और सबसे गरीब को उच्च प्राथमिकता मिलती है।
4. स्वयं सहायता समूह सदस्य /परिवार के सदस्य का नाम (प्राथमिकता के क्रम में) जो पेंशन के योग्य हैं कॉलम में : कृपया लाभार्थी का नाम भरें। लाभार्थी या तो स्वयं सहायता समूह का कोई सदस्य या उसके परिवार का कोई योग्य सदस्य हो सकता है। लाभार्थियों का नाम प्राथमिकता क्रम में लिखें।
5. स्वयं सहायता समूह सदस्य के नाम के कॉलम में : पिछले कॉलम (पेंशन पाने योग्य SHG सदस्य/परिवार के सदस्य का नाम) में जिस लाभार्थी का नाम भरा गया है उससे संबंधित समूह सदस्य का नाम भरें ।
6. घर के मुखिया के नाम के कॉलम में : कृपया लाभार्थी के घर के मुखिया /पिता / पति / का नाम भरें।
7. वार्ड संख्या और नाम के कॉलम में : कृपया लाभार्थी के निवास स्थान के वार्ड का नाम और संख्या भरें
8. प्राथमिकता का दर्जा कॉलम में : यह कॉलम GP स्तर पर आयोजित होने वाली समेकन और प्राथमिकता बैठक के दौरान ही भरा जाना चाहिए। GP स्तर पर एक समेकन और प्राथमिकता बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक के दौरान, प्राथमिकता को दर्शाने के लिए रैंकिंग अभ्यास किया जाएगा। सुनिश्चित करें कि SHG स्तर का डाटाएकत्र करने के दौरान इस कॉलम को खाली छोड़ दिया जाए

3. स्वच्छ भारत अभियान (SBM)

स्वयं सहायता समूह का नाम :

ग्राम संगठन का नाम :

ग्राम पंचायत का नाम :

क्रम संख्या	लाभार्थियों के नाम (प्राथमिकता के क्रम में)	घर के मुखिया का नाम	वार्ड संख्या और नाम	नया शौचालय / मरम्मत
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

स्वयं सहायता समूह का नाम :

ग्राम संगठन का नाम :

ग्राम पंचायत का नाम :

क्रम संख्या	लाभार्थियों के नाम (प्राथमिकता के क्रम में)	घर के मुखिया का नाम	वार्ड संख्या और नाम	नया शौचालय / मरम्मत	प्राथमिकता का दर्जा (GP समेकन और प्राथमिकता बैठक के दौरान भरा जाना है)
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

**प्रशिक्षक के नोट:**

कृपया केवल उन व्यक्तियों का विवरण नोट करें जो SBM के पात्र हैं और इससे पहले किसी भी सरकारी योजनाओं के तहत IHHL प्राप्त नहीं किया है

1. SBM घरेलू स्तर का डाटा है जहां एक घर को एक शौचालय मिलता है।
2. सुनिश्चित करें कि प्रविष्टियों को प्राथमिकता के क्रम में रखा जाए, जिसमें कमजोर वर्ग और सबसे गरीब को उच्च प्राथमिकता मिले।
3. **लाभार्थी के नाम** कॉलम में (प्राथमिकता के क्रम में): कृपया उस योग्य SHG सदस्य का नाम भरें जो SBM की मांग कर रहा है। कृपया नामों को प्राथमिकता वाले क्रम में लिखें।
4. **घर के मुखिया का नाम** कॉलम में : कृपया लाभार्थी के घर के मुखिया/पिता / पति का नाम भरें।
5. **समूह का नाम** कॉलम में : कृपया लाभार्थी के समूह का नाम भरें।
6. **वार्ड संख्या और नाम** कॉलम में : लाभार्थी के निवास स्थान के वार्ड का नाम और संख्या भरें
7. **नए शौचालय / मरम्मत** कॉलम में : कृपया भरें कि क्या लाभार्थी एक नया शौचालय चाहता है या मरम्मत की मांग कर रहा है।

**यदि राज्य IHHL की मरम्मत पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है, तो उस विकल्प को छोड़कर सिर्फ नयी मांग को भरें**



4. स्वास्थ्य कार्ड (आयुष्मान भारत/राज्य प्रायोजित स्वास्थ्य कार्ड)

स्वयं सहायता समूह का नाम :			
ग्राम संगठन का नाम :			
ग्राम पंचायत का नाम :			
क्रम संख्या	लाभार्थियों के नाम (प्राथमिकता के क्रम में)	घर के मुखिया का नाम	वार्ड संख्या और नाम
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

स्वयं सहायता समूह का नाम :

ग्राम संगठन का नाम :

ग्राम पंचायत का नाम :

क्रम संख्या	लाभार्थियों के नाम (प्राथमिकता के क्रम में)	घर के मुखिया का नाम	वार्ड संख्या और नाम
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

5. उज्ज्वला योजना (LPG कनेक्शन)

स्वयं सहायता समूह का नाम :			
ग्राम संगठन का नाम :			
ग्राम पंचायत का नाम :			
क्रम संख्या	लाभार्थियों के (प्राथमिकता के क्रम में)	घर के मुखिया का नाम	वार्ड संख्या और नाम
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

स्वयं सहायता समूह का नाम :

ग्राम संगठन का नाम :

ग्राम पंचायत का नाम :

क्रम संख्या	लाभार्थियों के नाम (प्राथमिकता के क्रम में)	घर के मुखिया का नाम	वार्ड संख्या और नाम
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

## 6.राशन कार्ड

स्वयं सहायता समूह का नाम :

ग्राम संगठन का नाम :

ग्राम पंचायत का नाम :

क्रम संख्या	लाभार्थियों के नाम (प्राथमिकता के क्रम में)	घर के मुखिया का नाम	वार्ड संख्या और नाम
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

स्वयं सहायता समूह का नाम :

ग्राम संगठन का नाम :

ग्राम पंचायत का नाम :

क्रम संख्या	लाभार्थियों के नाम (प्राथमिकता के क्रम में)	घर के मुखिया का नाम	वार्ड संख्या और नाम
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

7. प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना –सौभाग्य

स्वयं सहायता समूह का नाम :			
ग्राम संगठन का नाम :			
ग्राम पंचायत का नाम :			
क्रम संख्या	लाभार्थियों के नाम (प्राथमिकता के क्रम में)	घर के मुखिया का नाम	वार्ड संख्या और नाम
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

स्वयं सहायता समूह का नाम :

ग्राम संगठन का नाम :

ग्राम पंचायत का नाम :

क्रम संख्या	लाभार्थियों के नाम (प्राथमिकता के क्रम में)	घर के मुखिया का नाम	वार्ड संख्या और नाम
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			



स्वास्थ्य कार्ड / उज्ज्वला / राशन कार्ड / सौभाग्य कनेक्शन विवरण भरने के लिए प्रशिक्षक के नोट :

1. कृपया केवल उन व्यक्तियों का विवरण नोट करें जो नए स्वास्थ्य कार्ड / उज्ज्वला / राशन कार्ड / सौभाग्य कनेक्शन के लिए आवेदन करना चाहते हैं
2. स्वास्थ्य कार्ड / उज्ज्वला / राशन कार्ड / सौभाग्य घरेलू स्तर की योजनाएं हैं, इसलिए प्रति परिवार एक योग्य सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में जोड़ा जा सकता है।
3. सुनिश्चित करें कि प्रविष्टियों को प्राथमिकता के क्रम में रखा जाए , जिसमें कमजोर वर्ग और सबसे गरीब को उच्च प्राथमिकता मिलती है।
4. 'लाभार्थी के नाम (प्राथमिकता के क्रम में)' के कॉलम में: कृपया पात्र समूह सदस्य का नाम भरें, जिसे नए हेल्थ कार्ड / उज्ज्वला / राशन कार्ड / सौभाग्य कनेक्शन की आवश्यकता हो। कृपया नामों को प्राथमिकता के क्रम में लिखें।
5. 'घर के मुखिया का नाम' कॉलम में: कृपया लाभार्थी के घर के मुखिया /पिता / पति का नाम भरें।
6. 'वार्ड संख्या और नाम' कॉलम में : कृपया लाभार्थी के निवास स्थान का वार्ड संख्या और नाम भरें ।

8. प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)

स्वयं सहायता समूह का नाम :

ग्राम संगठन का नाम :

ग्राम पंचायत का नाम :

क्रम संख्या	लाभार्थियों के नाम (प्राथमिकता के क्रम में)	वार्ड संख्या और नाम
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

स्वयं सहायता समूह का नाम :

ग्राम संगठन का नाम :

ग्राम पंचायत का नाम :

क्रम संख्या	लाभार्थियों के नाम (प्राथमिकता के क्रम में)	वार्ड संख्या और नाम
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

9. प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ( PMJJBY)

स्वयं सहायता समूह का नाम :		
ग्राम संगठन का नाम :		
ग्राम पंचायत का नाम :		
क्रम संख्या	लाभार्थियों के नाम (प्राथमिकता के क्रम में)	वार्ड संख्या और नाम
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

स्वयं सहायता समूह का नाम :

ग्राम संगठन का नाम :

ग्राम पंचायत का नाम :

क्रम संख्या	लाभार्थियों के नाम (प्राथमिकता के क्रम में)	वार्ड संख्या और नाम
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

**PMSBY/PMJJBY विवरणों को भरने के लिए प्रशिक्षक के नोट:**

1. कृपया केवल उन व्यक्तियों का विवरण नोट करें, जो नए PMSBY / PMJJBY के लिए आवेदन करना चाहते हैं।
2. PMSBY / PMJJBY व्यक्तिगत स्तर की योजनाएं हैं जहां प्रत्येक व्यक्ति लाभ का हकदार है।
3. सुनिश्चित करें कि प्रविष्टियों को प्राथमिकता के क्रम में रखा जाए जिसमें सबसे कमजोर और सबसे गरीब को उच्च प्राथमिकता मिले।
4. 'लाभार्थी का नाम' के कॉलम में : कृपया समूह के योग्य सदस्य का नाम भरें, जिसे PMSBY / PMJJBY की आवश्यकता है। कृपया नामों को प्राथमिकता वाले क्रम में लिखें।
5. 'वार्ड संख्या और नाम' कॉलम में : कृपया लाभार्थी के निवास स्थान के वार्ड का नाम और संख्या भरें।

10. प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G)

स्वयं सहायता समूह का नाम :

ग्राम संगठन का नाम :

ग्राम पंचायत का नाम :

क्रम संख्या	लाभार्थियों के नाम नाम (प्राथमिकता के क्रम में)	घर के मुखिया का नाम	वार्ड संख्या और नाम	प्राथमिकता का दर्जा (GP समेकन और प्राथमिकता बैठक के दौरान भरा जाना है)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

स्वयं सहायता समूह का नाम :

ग्राम संगठन का नाम :

ग्राम पंचायत का नाम :

क्रम संख्या	लाभार्थियों के नाम (प्राथमिकता के क्रम में)	घर के मुखिया का नाम	वार्ड संख्या और नाम	प्राथमिकता का दर्जा (GP समेकन और प्राथमिकता बैठक के दौरान भरा जाना है)
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				



**PMAY-G विवरण भरने के लिए प्रशिक्षक के नोट:**

1. कृपया केवल उन्हीं व्यक्तियों का विवरण नोट करें जो नए PMAY-G के लिए आवेदन करना चाहते हैं
2. PMAY-G घरेलू स्तर की योजनाएं हैं, इसलिए प्रति परिवार एक योग्य सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में जोड़ा जा सकता है।
3. सुनिश्चित करें कि प्रविष्टियों को प्राथमिकता के क्रम में रखा जाए जिसमें कमजोर वर्ग और सबसे गरीब को उच्च प्राथमिकता मिले।
4. 'लाभार्थियों के नाम (प्राथमिकता के क्रम में)' कॉलम में : कृपया समूह के योग्य सदस्य का नाम भरें, जिसे नए PMAY-G की आवश्यकता है। कृपया नाम प्राथमिकता वाले क्रम में लिखें।
5. 'घर के मुखिया का नाम' कॉलम में : कृपया लाभार्थी के घर के मुखिया/पिता / पति का नाम भरें।
6. 'वार्ड संख्या और नाम' कॉलम में : लाभार्थी के निवास स्थान के वार्ड का नाम और संख्या भरें।
7. 'प्राथमिकता के लिए दर्जा' कॉलम में: यह कॉलम GP स्तर पर आयोजित होने वाली समेकन और प्राथमिकता बैठक के दौरान ही भरा जाना चाहिए। GP स्तर पर एक समेकन और प्राथमिकता बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक के दौरान, प्राथमिकता दर्शाने के लिए रैंकिंग अभ्यास किया जाएगा। सुनिश्चित करें कि SHG स्तर का डाटाएकत्रित करने के दौरान इस कॉलम को खाली छोड़ा गया हो।

10. \*कोई अन्य योजना (कृपया योजना का नाम यहाँ लिखें)

स्वयं सहायता समूह का नाम :

ग्राम संगठन का नाम :

ग्राम पंचायत का नाम :

क्रम संख्या	लाभार्थियों के नाम (प्राथमिकता के क्रम में)	घर के मुखिया का नाम	वार्ड संख्या और नाम
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

स्वयं सहायता समूह का नाम :

ग्राम संगठन का नाम :

ग्राम पंचायत का नाम :

क्रम संख्या	लाभार्थियों के नाम (प्राथमिकता के क्रम में)	घर के मुखिया का नाम	वार्ड संख्या और नाम
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

*\*अगर हकदारी योजना में राज्य सरकार की कोई योजना शामिल की जाती है तो इस टेबल का प्रयोग SHG सदस्यों का विवरण इकट्ठा करने में हो सकता है।*

**SHG के मुखिया की मुहर और हस्ताक्षर**

**B. आजीविका का आंकड़ा एकत्रित करने हेतु सूचि का प्रारूप**

1	खेती
1.1	व्यक्तिगत खेती
1.2	सामूहिक खेती
2	पशुपालन
2.1	पशुपालन -व्यक्तिगत
2.2	पशुपालन -समूह
3	सूक्ष्म उद्यम
3.1	व्यक्तिगत सूक्ष्म
3.2	सामूहिक सूक्ष्म उद्यम

## 1. खेती

टेबल 1: खेती में मदद के प्रकार की सूची:

क्रम संख्या	मदद के प्रकार
1.	प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण
2	उपकरणों के लिए सब्सिडी और ऋण के रूप में सिंचाई में मदद
3.	सब्सिडी के रूप में बीज वितरण, खाद और उर्वरकों में मदद
4.	बाजार तक पहुँच और विपणन में मदद
5.	गुणवत्ता वाले बीज / उर्वरक / जैविक खाद / एजोला / पौधे / अंकुर / जैसे इनपुट औषधीय पौधे / बाड़ आदि।
6.	यंत्रिकृत कृषि उपकरण / औजार - पावर टिलर, मोटर पंप, वीडर, स्प्रेयर, थ्रेशर इत्यादि।
7.	बोरवेल, लिफ्ट सिंचाई, ड्रिप सिंचाई, सिंचाई चैनल, पाइप, तालाब आदि।
8.	कोल्ड स्टोरेज / गोदाम / शीतलन संयंत्र / पंप हाउस
9.	वर्मी कम्पोस्ट / नाडेप पिट
10.	ड्राइइंग प्लेटफार्म
11.	उत्पादन, प्रचार और ब्रांडिंग समर्थन, बाजार लिंकेज, आयोजन का प्रमाणन मेलों
12.	विशिष्ट फसल की खेती, एक्सपोजर विजिट के लिए प्रशिक्षण
13.	फसल बीमा
14.	सेरीकल्चर, बागवानी और वानिकी रोपण संबंधित इनपुट और उपकरण

ध्यान दें कि ऊपर जिस तरह के मदद का ज़िक्र हुआ है वे आम तरह के हैं। इसके अलावा, प्रत्येक राज्य में आजीविका की प्रत्येक श्रेणी के लिए उपलब्ध मदद की विशिष्ट सूची भी हो सकती है। राज्य उस राज्य-विशेष के लिए एक विशिष्ट सूची तैयार कर सकते हैं और इसे उन प्रतिभागियों / सुविधाओं / संवर्गों के बीच प्रसारित कर सकते हैं जो क्षेत्र के लिए नियोजन अभ्यास की सुविधा प्रदान करेंगे।

खेती से संबंधित मांगों पर ग्राम पंचायत / स्थानीय निकायों की निधियों के साथ-साथ नीचे उल्लिखित विभिन्न विभागों की उपलब्ध योजनाओं के तहत गौर किया जा सकता है:

क्रम संख्या	विभाग का नाम
1.	कृषि विभाग
2	बागवानी विभाग
3.	भूमि, मृदा और जल संरक्षण विभाग
4.	सिंचाई विभाग
5.	रेशमकीट पालन विभाग

## 1.1 व्यक्तिगत खेती

स्वयं सहायता समूह का नाम :

ग्राम संगठन का नाम :

ग्राम पंचायत का नाम :

क्रम संख्या	SHG सदस्यों के नाम (प्राथमिकता के क्रम में)	घर के मुखिया का नाम	वार्ड संख्या और नाम	स्वयं की भूमि / पट्टे की भूमि पर खेती	किस प्रकार की मदद चाहते हैं	प्राथमिकता का दर्जा (GP समेकन और प्राथमिकता बैठक के दौरान भरा जाना है)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

स्वयं सहायता समूह का नाम :

ग्राम संगठन का नाम :

ग्राम पंचायत का नाम :

क्रम संख्या	SHG सदस्यों के नाम (प्राथमिकता के क्रम में)	वार्ड संख्या और नाम	स्वयं की भूमि / पट्टे की भूमि पर खेती	किस प्रकार की मदद चाहते हैं	प्राथमिकता का दर्जा (GP समेकन और प्राथमिकता बैठक के दौरान भरा जाना है)
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					



### व्यक्तिगत खेती के लिए प्रशिक्षक के नोट:

1. सुनिश्चित करें कि प्रविष्टियों को प्राथमिकता के क्रम में रखा जाए जिसमें कमजोर वर्ग और सबसे गरीब को उच्च प्राथमिकता मिले
2. 'SHG सदस्य का नाम' के कॉलम में : कृपया समूह सदस्यों के नाम भरें, जो व्यक्तिगत खेती पद्धतियों में रुचि रखते हैं। कृपया नाम को प्राथमिकता वाले क्रम में लिखें।
3. 'घर के मुखिया का नाम' कॉलम में: कृपया लाभार्थी के घर के पिता / पति / मुखिया का नाम भरें।
4. 'वार्ड संख्या और नाम' कॉलम में : कृपया SHG सदस्य के निवास स्थान के वार्ड का नाम और संख्या भरें।
5. 'स्वयं की भूमि / पट्टे की भूमि' पर खेती कॉलम में : यदि SHG के सदस्य अपनी या अपने परिवार के स्वामित्व वाली भूमि पर खेती करना चाहते हैं, तो इसमें "अपनी भूमि" लिखें। और अगर SHG के सदस्य पट्टे की ज़मीन पर खेती करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें किराया देना है, तो "पट्टे पर दी गई" लिखिए।
6. 'किस तरह के मदद की ज़रूरत है' कॉलम में : किसी खास मांग के लिए SHG के सदस्य किस प्रकार की मदद चाहते हैं, इसका उल्लेख करें। उन्हें एक से अधिक तरह की मदद की ज़रूरत हो सकती है। उदाहरण के लिए, फसलों के प्रकार, कृषि सब्सिडी, वित्तीय ऋण, विशेष प्रशिक्षण, आदि (संदर्भ टेबल 1)
7. 'प्राथमिकता के अनुसार' कॉलम में : यह कॉलम GP स्तर पर आयोजित होने वाली समेकन और प्राथमिकता बैठक के दौरान ही भरा जाना चाहिए। GP स्तर पर समेकन और प्राथमिकता बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक के दौरान, प्राथमिकता को दर्शाने के लिए रैंकिंग अभ्यास किया जाएगा। सुनिश्चित करें कि SHG स्तर का डाटाएकत्रित करने के दौरान इस कॉलम को खाली छोड़ दिया जाए।

## 1.2 सामूहिक खेती

स्वयं सहायता समूह का नाम :						
ग्राम संगठन का नाम :						
ग्राम पंचायत का नाम :						
क्रम संख्या	समूह में SHG सदस्यों की संख्या	समूह के SHG सदस्यों के नाम और सदस्यों के SHG के नाम	समूह में किसी एक SHG सदस्य के वार्ड का नाम और संख्या	स्वयं की भूमि / पट्टे की भूमि पर खेती	किस प्रकार की मदद चाहते हैं	प्राथमिकता का दर्जा (GP समेकन और प्राथमिकता बैठक के दौरान भरा जाना है)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

स्वयं सहायता समूह का नाम :

ग्राम संगठन का नाम :

ग्राम पंचायत का नाम :

क्रम संख्या	क्रम संख्या	क्रम संख्या	क्रम संख्या	क्रम संख्या	क्रम संख्या	क्रम संख्या
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

### **सामूहिक खेती के लिए प्रशिक्षक के नोट हेतु:**

यह SHG के उन सदस्यों के लिए है जो सामूहिक खेती करना चाहते हैं। इस समूह में SHG के तीन या उससे ज्यादा सदस्य जुड़ सकते हैं।

1. सुनिश्चित करें कि प्रविष्टियों को प्राथमिकता के क्रम में रखा जाए जिसमें सबसे कमजोर और सबसे गरीब को उच्च प्राथमिकता मिले
2. **समूह सदस्य का नाम कॉलम में:** कृपया किसी एक खास समूह में SHG सदस्यों की संख्या भरें।
3. **समूह के SHG सदस्यों के नाम और सदस्यों के SHG के नाम कॉलम में:** कृपया समूह के सभी SHG सदस्यों के नाम लिखें। उदाहरण के लिए : अगर 3 SHG के सदस्य खेती के लिए समूह बनाना चाहते हैं तो उन तीनों सदस्यों का नाम लिखें। उनके नाम के आगे कोष्ठक में उनके SHG का नाम लिखें।
4. किसी एक SHG सदस्य की **वार्ड संख्या और** उसका **नाम** कॉलम में: कृपया समूह सदस्य के निवास स्थान के वार्ड का नाम और संख्या भरें।
5. **स्वयं की भूमि / पट्टे पर दी गई भूमि** पर खेती कॉलम में : अगर समूह ऐसी ज़मीन पर खेती करना चाहता है जो समूह के किसी सदस्य या परिवार के किसी सदस्य की है तो कृपया "अपनी ज़मीन" लिखें; और अगर समूह पट्टे की जमीन पर खेती करना चाहता है, जिसके लिए उसे किराया देना है, तो "पट्टे पर दी गई जमीन" लिखिए।
6. **मदद के प्रकार** कॉलम में : किसी खास माँग के लिए SHG के सदस्यों को किस तरह की मदद चाहिए इसका उल्लेख करें। एक से अधिक तरह के मदद की ज़रूरत हो सकती है। उदाहरण के लिए, फसलों के प्रकार, कृषि सब्सिडी, वित्तीय ऋण, विशेष प्रशिक्षण, आदि (**संदर्भ टेबल 1**)
7. **प्राथमिकता का दर्जा कॉलम में** : यह कॉलम GP स्तर पर आयोजित होने वाली समेकन और प्राथमिकता बैठक के दौरान ही भरा जाना चाहिए। GP स्तर पर एक समेकन और प्राथमिकता बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक के दौरान, प्राथमिकता को दर्शाने के लिए रैंकिंग अभ्यास किया जाएगा।

**सुनिश्चित करें कि SHG स्तर के डाटासंग्रह के दौरान इस कॉलम को खाली छोड़ दिया जाए।**

## 2. पशुपालन

पशुपालन के लिए मदद के प्रकार की सूची:

क्रम संख्या	मदद के प्रकार
1	मछलियों / चूजों / बछड़ों, आदि और अन्य आदानों के लिए सब्सिडी
2	पशु चिकित्सा के लिए समर्थन
3	प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और विस्तार के लिए मदद
4	बाजार तक पहुँच और विपणन मदद
5	गुणवत्ता वाले पशुधन
6	टीके और दवाइयाँ
7	मुर्गी पालन / मधुमक्खी पालन / मत्स्य पालन के लिए उपकरण / इनपुट - वजन तराजू
8	पशुओं के लिए स्वास्थ्य शिविर
9	तालाब का जीर्णोद्धार / नया निर्माण
10	कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए मछली पकड़ने का जाल
11	मछली / मवेशी / मुर्गी / सुअर पालन प्रदान करना
12	पोल्ट्री शेड / कैटल शेड / बकरी शेड / सुअर शैली
13	चारे की खेती
14	टीकों और दवाओं के लिए मिनी-रेफ्रिजरेटर
15	उपज का प्रमाणन, ब्रांडिंग, बाजार की सुविधा, विपणन के लिए मेलों का आयोजन आदि
16	मिल्क चिलिंग प्लांट्स
17	काम शेड

18	पशु बीमा
19	शिष्ट पशुधन / छोटे जुगाली / मछली पालन के लिए प्रशिक्षण

ध्यान दें कि ऊपर जिस मदद का जिक्र हुआ है वे आम तरह के हैं। इसके अलावा, प्रत्येक राज्य में आजीविका की प्रत्येक श्रेणी के लिए उपलब्ध मदद की राज्य-विशिष्ट सूची भी हो सकती है। राज्य अपने लिए राज्य-विशिष्ट सूची तैयार कर सकते हैं और इसे उन प्रतिभागियों / सुगमकर्ताओं / केंद्र के बीच प्रसारित कर सकते हैं जो क्षेत्र के लिए नियोजन अभ्यास की सुविधा प्रदान करेंगे।

पशुपालन से संबंधित मांगों पर ग्राम पंचायत / स्थानीय निकायों की निधियों के साथ-साथ नीचे उल्लिखित विभिन्न विभागों की उपलब्ध योजनाओं के तहत गौर किया जा सकता है:

क्रम संख्या	विभाग का नाम
1.	पशुपालन विभाग
2	मतस्यपालन विभाग

## 2.1 पशुपालन – व्यक्तिगत

स्वयं सहायता समूह का नाम:

ग्राम संगठन का नाम :

ग्राम पंचायत का नाम :

क्रम संख्या	समूह सदस्य का नाम (प्राथमिकता के क्रम में)	घर के मुखिया का नाम	वार्ड संख्या और नाम	पशुपालन की श्रेणी	आवश्यक मदद के प्रकार	प्राथमिकता का दर्जा (जीपी समेकन और प्राथमिकता बैठक के दौरान भरा जाना है)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

स्वयं सहायता समूह का नाम:

ग्राम संगठन का नाम :

ग्राम पंचायत का नाम :

क्रम संख्या	समूह सदस्य का नाम (प्राथमिकता के क्रम में)	घर के मुखिया का नाम	वार्ड संख्या और नाम	पशुपालन की श्रेणी	आवश्यक मदद के प्रकार	प्राथमिकता का दर्जा (जीपी समेकन और प्राथमिकता बैठक के दौरान भरा जाना है)
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						



स्वयं सहायता समूह का नाम:						
ग्राम संगठन का नाम :						
ग्राम पंचायत का नाम :						
क्रम संख्या	समूह सदस्य का नाम (प्राथमिकता के क्रम में)	घर के मुखिया का नाम	वार्ड संख्या और नाम	पशुपालन की श्रेणी	आवश्यक मदद के प्रकार	प्राथमिकता का दर्जा (जीपी समेकन और प्राथमिकता बैठक के दौरान भरा जाना है)
19						
20						

**व्यक्तिगत पशुपालन के लिए प्रशिक्षक के नोट:**

पशुपालन में पशु धन जैसे मुर्गी, सूअर, बकरी, गाय आदि शामिल होंगे. इस श्रेणी में SHG सदस्यों की माँगें शामिल होंगी जो पशुपालन में रुचि रखते हैं।

1. सुनिश्चित करें कि प्रविष्टियों को प्राथमिकता के क्रम में रखा जाए जिसमें सबसे कमजोर और सबसे गरीब को उच्च प्राथमिकता मिले
2. SHG सदस्य का नाम (प्राथमिकता के क्रम में) कॉलम : कृपया ऐसे SHG सदस्यों के नाम भरें, जो व्यक्तिगत पशुपालन में रुचि रखते हैं। कृपया नाम को प्राथमिकता के क्रम में लिखें।
3. घर के मुखिया का नाम कॉलम में : कृपया लाभार्थी के घर के मुखिया/ पिता/ पति/ का नाम भरें।
4. वार्ड नाम और संख्या कॉलम में : कृपया समूह सदस्य के निवास स्थान के वार्ड का नाम और संख्या भरें।

5. **पशुपालन की श्रेणी कॉलम में** : कृपया उन मवेशियों का नाम लिखें जिसकी माँग SHG के सदस्य करते हैं। उदाहरण के लिए, बकरी, मवेशी, मुर्गी, सूअर , आदि।

6. **मदद के प्रकार कॉलम में** : कृपया मदद के प्रकार का उल्लेख करें, जैसे मवेशी, पशु / मुर्गी शेड, चारा, अनाज पर सब्सिडी, वित्तीय ऋण या विशेष प्रशिक्षण। उन्हें एक से अधिक तरह के मदद की ज़रूरत हो सकती है। यदि सदस्य मवेशी / सूअर / आदि की मांग करते हैं, तो इस कॉलम में मांगे गए जानवरों की संख्या का भी उल्लेख करें। उदाहरण के लिए, यदि जानवर की श्रेणी में, कोई सदस्य बकरी पालन की मांग करता है, तो मदद के प्रकार के तहत कितनी बकरी की माँग करते हैं उसकी संख्या लिखें, जैसे , "बकरी -3" (संदर्भ टेबल 2 देखें)।

7. **प्राथमिकता का दर्जा कॉलम में** : यह कॉलम जीपी स्तर पर आयोजित होने वाली समेकन और प्राथमिकता बैठक के दौरान ही भरा जाना चाहिए। जीपी स्तर पर समेकन और प्राथमिकता बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक के दौरान, प्राथमिकता को दर्शाने के लिए एक रैंकिंग अभ्यास किया जाएगा। **सुनिश्चित करें कि SHG स्तर के डाटासंग्रह के दौरान इस कॉलम को खाली छोड़ दिया जाए**

## 2.2 पशुपालन- सामूहिक

स्वयं सहायता समूह का नाम :

ग्राम संगठन का नाम :

ग्राम पंचायत का नाम :

क्रम संख्या	समूह में SHG सदस्यों की संख्या	समूह के सदस्यों के नाम और क्रमशः सदस्यों के समूह का नाम	समूह के किसी एक सदस्य के वार्ड का नाम और संख्या	पशुपालन की श्रेणी	आवश्यक मदद के प्रकार	प्राथमिकता का दर्जा (GP समेकन और प्राथमिकता बैठक के दौरान भरा जाना है)
1						
2						
3						
4						
5						
6						

स्वयं सहायता समूह का नाम :

ग्राम संगठन का नाम :

ग्राम पंचायत का नाम :

क्रम संख्या	समूह में SHG सदस्यों की संख्या	समूह के सदस्यों के नाम और सदस्यों के SHG का नाम	समूह के किसी एक SHG सदस्य के वार्ड का नाम और संख्या	पशु पालन की श्रेणी में	आवश्यक मदद के प्रकार	प्राथमिकता का दर्जा (GP समेकन और प्राथमिकता बैठक के दौरान भरा जाना है)
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						

स्वयं सहायता समूह का नाम :

ग्राम संगठन का नाम :

ग्राम पंचायत का नाम :

क्रम संख्या	समूह में SHG सदस्यों की संख्या	समूह के SHG सदस्यों के नाम और सदस्यों के SHG का नाम	समूह के किसी एक SHG सदस्य के वार्ड का नाम और संख्या	पशु पालन की श्रेणी में	आवश्यक मदद के प्रकार	प्राथमिकता का दर्जा के अनुसार (GP समेकन और प्राथमिकता बैठक के दौरान भरा जाना है)
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

## सामूहिक पशुपालन के लिए प्रशिक्षक का नोट :

SHG के ऐसे सदस्यों के लिए जो एक समूह के रूप में सूक्ष्म उद्योग शुरू करना चाहते हैं। इसके लिए एक समूह में SHG के तीन या उससे ज्यादा सदस्य हो सकते हैं।

1. सुनिश्चित करें कि प्रविष्टियों को प्राथमिकता के क्रम में दर्ज किया जाए जिसमें कमजोर वर्ग/ गरीबों में अति गरीब को उच्च प्राथमिकता मिले ।
2. **समूह सदस्य का नाम कॉलम में (प्राथमिकता के क्रम में):** कृपया किसी एक खास समूह में SHG सदस्यों की संख्या भरें, जो एक समूह सूक्ष्म उद्यम (ME) शुरू करना चाहते हैं। कृपया नाम को प्राथमिकता वाले क्रम में लिखें।
3. **समूह के सदस्यों के नाम और क्रमशः उनके समूह का नाम कॉलम में :** कृपया समूह में SHG के सभी सदस्यों के नाम लिखें । उदाहरण के लिए : अगर 3 SHG सदस्य खेती के लिए समूह बनाना चाहते हैं तो उन तीनों सदस्यों का नाम इस कॉलम में अवश्य लिखें और उनके नाम के आगे ब्रैकेट में उनके SHG का नाम लिखें ।
4. **समूह के किसी SHG सदस्य का वार्ड नाम और संख्या कॉलम में :** कृपया समूह सदस्य के निवास स्थान के वार्ड का नाम और संख्या भरें।
5. **पशुपालन की श्रेणी कॉलम में :** SHG सदस्य किस तरह के मवेशियों की माँग करते हैं उसे दर्ज करें। उदाहरण के लिए, बकरी, मवेशी, मुर्गी, सूअर आदि।
6. **मदद के प्रकार कॉलम में :** अपनी किसी खास माँग के लिए SHG सदस्य को किस तरह की मदद चाहिए कृपया इसका उल्लेख करें। उन्हें एक से अधिक मदद की ज़रूरत हो सकती है। जैसे मवेशी, पशु / मुर्गी शेड, चारा, अनाज पर सब्सिडी, वित्तीय ऋण या विशेष प्रशिक्षण। (संदर्भ टेबल 3 देखें)।
7. **प्राथमिकता का दर्जा कॉलम में :** यह कॉलम GP स्तर पर आयोजित होने वाली समेकन और प्राथमिकता बैठक के दौरान ही भरा जाना चाहिए। जीपी स्तर पर समेकन और प्राथमिकता बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक के दौरान, प्राथमिकता को दर्शाने के लिए रैंकिंग अभ्यास किया जाएगा। **सुनिश्चित करें कि SHG स्तर के डाटासंग्रह के दौरान इस कॉलम को खाली छोड़ दिया जाए।**

### 3. सूक्ष्म उद्यम

SHG के सदस्य व्यक्तिगत रूप से या दो या अधिक के समूहों में ME शुरू कर सकते हैं। ME को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है:

टेबल 3: सूक्ष्म उद्यम के लिए मदद के प्रकारों की सूची :

क्रम संख्या	मदद के प्रकार
1	सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए किराए में सब्सिडी
2	आकस्मिक खर्च
3	प्रौद्योगिकी, कौशल, बाजार पहुंच आदि में उद्यमियों की क्षमता निर्माण.
4	नए उद्यम विकासके लिए बीज पूंजी और मौजूदा उद्यम के लिए मदद के प्रकार
5	बाजार तक पहुँच और विपणन मदद
6	उत्पादों की डिजाइनिंग और पैकेजिंग
7	व्यवसाय विकास कौशल पर प्रशिक्षण
8	विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के लिए उपकरण / उपकरण जैसे खाद्य प्रसंस्करण, मसाले सुखाने और पीसने, हथकरघा, हस्तकला, एनटीएफ उत्पादन से उत्पाद बनाना, पैकेजिंग के लिए उपकरण।
9	काम शेड
10	ड्राइइंग प्लेटफार्म
11	भंडारण की इकाइयाँ

12	उत्पाद और सेवाओं का प्रमाणन, प्रचार और ब्रांडिंग समर्थन, बाजार संपर्क, मेलों का आयोजन।
13	विशिष्ट प्रकार की गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण (हथकरघा, हस्तशिल्प, सेरीकल्चर, खाद्य प्रसंस्करण, विभिन्न सेवाएं आदि)

ध्यान दें कि ऊपर जिनकी चर्चा की गई है वे सब सामान्य प्रकार के हैं। इसके अलावा, प्रत्येक राज्य में आजीविका की प्रत्येक श्रेणी के लिए उपलब्ध मदद के प्रकारों की राज्य-विशिष्ट सूची भी हो सकती है। राज्य अपने लिए राज्य-विशिष्ट सूची तैयार कर सकते हैं और इसे प्रतिभागियों / सुगमकर्ताओं / संवर्ग के बीच प्रसारित कर सकते हैं जो क्षेत्र में नियोजन अभ्यास की सुविधा प्रदान करेंगे।

सूक्ष्म उद्यम से संबंधित मांगों पर ग्राम पंचायत / स्थानीय निकायों की निधियों के साथ-साथ नीचे उल्लिखित विभिन्न विभागों की उपलब्ध योजनाओं के तहत गौर किया जा सकता है:

क्रम संख्या	विभाग का नाम
1.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
2	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

सूक्ष्म उद्यमों को तीन श्रेणियों में बाँटा जा सकता है।

**टेबल 4:** सूक्ष्म उद्यम को श्रेणीबद्ध करना

उत्पादन	व्यापार	सेवाएं
1. बुनाई	1. गारमेंट स्टोर	1. ब्यूटी पार्लर
2. पापड़ बनाना	2. जनरल स्टोर	2. केटरिंग सर्विसेज़
3. अगरबत्ती बनाना	3. बेकरी	3. साउन्ड एण्ड लाइट
4. आचार बनाना	4. फार्मसी	रेन्टल



5. फूल और गुलदस्ता बनाना	5. पूजा की वस्तुओं की दुकान	4. रेस्तराँ
6. पेपर प्लेट बनाना	6. बिस्तर और गद्दे की दुकान	5. लॉन्ट्री सर्विस
7. चुचूड़ी बनाना	7. किताब की दुकान	6. ऑटो रिक्शा /वैन्स
8. काँइर रस्सी बनाना	8. ईंट और टाइल्स के कारोबार की दुकान	7. बाइक/ कार रिपेयर
9. हथकरघा और हशतशिल्प	9. डेयरी उत्पाद	8. बढ़ई
10. मिट्टी के बर्तन बनाना	10. बिजली की दुकान	9. मोबाईल मरम्मत
11. चावल मिल	11. मछली का व्यापार	10. इलेक्ट्रानिक्स रिपेयर
12. रेशम कीट पालन	12. मूँगफली का कारोबार	11. ताज़ा फल का जूस /अन्य पेय
13. हलवाई का काम/मिठाई बनाना	13. आभूषण	12. चित्रकारी
14. नोटबुक बनाना	14. मशरूम का कारोबार	13. प्रिंटिंग प्रेस
15. सब्जियों की खेती	15. जूते के कारोबार की दुकान	14. ट्यूशन
16. थैलियाँ बनाना	16. सब्जी/फल का कारोबार	15. सलून
17. लकड़ी या बांस के फर्नीचर बनाना	17. बर्तन का कारोबार	16. फोटो स्टूडियो
18. चटाई बनाना	18. रद्दी का कारोबार	17. टैक्सी सर्विस
19. साबुन और डिटर्जेंट बनाना	19. हार्डवेयर स्टोर	18. टेलरिंग
20. वाटर प्यूरीफायर प्लांट	20. शीतल पेय की दुकान	19. वैल्विंग
		20. घड़ी मरम्मत

### 3.1 व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यम

स्वयं सहायता समूह का नाम :

ग्राम संगठन का नाम:

ग्राम पंचायत का नाम:

क्रम संख्या	SHG सदस्य का नाम (प्राथमिकता क्रम में)	घर के मुखिया का नाम	वार्ड संख्या और नाम	ME का प्रकार	आवश्यक मदद के प्रकार	प्राथमिकता का दर्जा (GP समेकन और प्राथमिकता बैठक के दौरान भरा जाना है)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

समूह का नाम :

ग्राम संगठन का नाम:

ग्राम पंचायत का नाम:

क्रम संख्या	SHG के सदस्य का नाम (प्राथमिकता के क्रम में)	घर के मुखिया का नाम	वार्ड संख्या और नाम	ME का प्रकार	आवश्यक मदद के प्रकार	प्राथमिकता का दर्जा (GP समेकन और प्राथमिकता बैठक के दौरान भरा जाना है)
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						

समूह का नाम :

ग्राम संगठन का नाम:

ग्राम पंचायत का नाम:

क्रम संख्या	SHG के सदस्य का नाम (प्राथमिकता के क्रम में)	घर के मुखिया का नाम	वार्ड संख्या और नाम	ME का प्रकार	आवश्यक मदद के प्रकार	प्राथमिकता का दर्जा (GP समेकन और प्राथमिकता बैठक के दौरान भरा जाना है)
18						
19						
20						

### व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों (ME) के लिए प्रशिक्षक का नोट :

‘SHG सदस्य का नाम’ कॉलम में : कृपया SHG सदस्यों का नाम भरें जो व्यक्तिगत ME शुरू करने में रुचि रखते हैं या जिन्हें मौजूदा MEs के लिए मदद की आवश्यकता है।

1. सुनिश्चित करें कि प्रविष्टियों को प्राथमिकता के क्रम में दर्ज किया जाए जिसमें सबसे कमजोर और गरीबों में सबसे गरीब को उच्च प्राथमिकता मिले
2. SHG सदस्य का नाम (प्राथमिकता के क्रम में) कॉलम में : कृपया इसमें उन SHG सदस्यों के नाम भरें, जो व्यक्तिगत ME शुरू करना चाहते हैं या वर्तमान ME में मदद चाहते हैं। कृपया नाम को प्राथमिकता के क्रम में लिखें।
3. घर के मुखिया का नाम कॉलम में : कृपया लाभार्थी के घर के मुखिया/ पिता / पति का नाम भरें।
4. वार्ड नाम और संख्या कॉलम में : कृपया SHG सदस्य के निवास स्थान के वार्ड का नाम और संख्या भरें।
5. समूह का नाम कॉलम में : कृपया सदस्य के SHG का नाम लिखें।
6. ME के प्रकार कॉलम में: इस कॉलम में, कृपया सूक्ष्म उद्यम का प्रकार दर्ज करें जैसे किराना की दुकान, ब्यूटी पार्लर, अगरबत्ती इकाई, अचार बनाने की इकाई, जूते की दुकान, नाई की दुकान आदि।
7. किस प्रकार की मदद कॉलम में : SHG के सदस्य को विशेष मांग के लिए किस प्रकार की मदद चाहिए, इसका उल्लेख करें। एक से अधिक मदद की ज़रूरत हो सकती है। उदाहरण के लिए, वित्तीय ऋण, विशेष कौशल प्रशिक्षण, बाजार संवर्धन के लिए समर्थन आदि (संदर्भ टेबल 3)
8. प्राथमिकता का दर्जा कॉलम में : यह कॉलम GP स्तर पर आयोजित होने वाली समेकन और प्राथमिकता बैठक के दौरान ही भरा जाना चाहिए। GP स्तर पर समेकन और प्राथमिकता बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक के दौरान, प्राथमिकता को दर्शाने के लिए रैंकिंग अभ्यास किया जाएगा। सुनिश्चित करें कि SHG स्तर के डाटा संग्रह के दौरान इस कॉलम को खाली छोड़ दिया जाए।

### 3.2 समूह सूक्ष्म उद्यम

स्वयं सहायता समूह का नाम :

ग्राम संगठन का नाम :

ग्राम पंचायत का नाम :

क्रम संख्या	समूह में SHG सदस्यों की संख्या	समूह के SHG सदस्यों के नाम और क्रमशः उनके SHG के नाम	समूह के किसी एक SHG सदस्य की वार्ड संख्या और उसका नाम	ME का प्रकार	आवश्यक मदद के प्रकार	प्राथमिकता का दर्जा (GP समेकन और प्राथमिकता बैठक के दौरान भरा जाना है)
1						
2						
3						
4						
5						
6						

स्वयं सहायता समूह का नाम :

ग्राम संगठन का नाम :

ग्राम पंचायत का नाम :

क्रम संख्या	समूह में SHG सदस्यों की संख्या	समूह के SHG सदस्यों के नाम और क्रमशः उनके SHG के नाम	समूह के किसी एक SHG सदस्य की वार्ड संख्या और उसका नाम	ME का प्रकार (उत्पादन / व्यापार / सेवाएँ)	आवश्यक मदद के प्रकार	प्राथमिकता का दर्जा (GP समेकन और प्राथमिकता बैठक के दौरान भरा जाना है)
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						

स्वयं सहायता समूह का नाम :

ग्राम संगठन का नाम :

ग्राम पंचायत का नाम :

क्रम संख्या	समूह में SHG सदस्यों की संख्या	समूह के SHG सदस्यों के नाम और क्रमशः उनके SHG के नाम	समूह के किसी एक SHG सदस्य की वार्ड संख्या और उसका नाम	ME का प्रकार (उत्पादन / व्यापार / सेवाएँ)	आवश्यक मदद के प्रकार	प्राथमिकता का दर्जा (GP समेकन और प्राथमिकता बैठक के दौरान भरा जाना है)
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

**SHG मुखिया की मुहर और हस्ताक्षर**



**सामूहिक अति लघु उद्योग के लिए प्रशिक्षक हेतु नोट :**

SHG के ऐसे सदस्यों के लिए जो सामूहिक रूप से सूक्ष्म उद्यम शुरू करना चाहते हैं। एक समूह में तीन या अधिक SHG सदस्य शामिल हो सकते हैं:

1. सुनिश्चित करें कि प्रविष्टियों को प्राथमिकता के क्रम में दर्ज किया जाए जिसमें सबसे कमजोर वर्ग और अति गरीब को उच्च प्राथमिकता मिले
2. **एक समूह में SHG के सदस्यों की संख्या कॉलम में :** कृपया एक विशेष समूह में SHG सदस्यों की संख्या लिखें जो समूह में शुरू करने के लिए तैयार हैं।
3. **समूह के SHG सदस्यों के नाम और क्रमशः इन सदस्यों के SHG के नाम कॉलम में:** कृपया समूह के सभी SHG सदस्यों के नाम लिखें। उदाहरण के लिए : अगर 3 समूह के सदस्य सामूहिक खेती करने के लिए समूह बनाना चाहते हैं तो उन तीनों सदस्यों का नाम लिखें और उनके नाम के आगे कोष्ठक में उनके SHG का नाम लिखें।
4. **समूह के किसी एक SHG सदस्य के वार्ड का नाम और उसकी संख्या कॉलम में :** कृपया SHG सदस्य के निवास स्थान के वार्ड का नाम और उसकी संख्या भरें।
5. **सूक्ष्म उद्यम के प्रकार कॉलम में :** इस कॉलम में, कृपया एमई (उत्पादन / व्यापार / सेवा) का प्रकार जैसे किराने की दुकान, ब्यूटी पार्लर, अगरबत्ती इकाई, अचार बनाने की इकाई, जूते की दुकान, नाई की दुकान आदि लिखें जिसे SHG सदस्य शुरू करने का इच्छुक है। (टेबल 4 देखें)।
6. **किस प्रकार की मदद चाहिए कॉलम में :** अपने किसी खास माँग के लिए SHG सदस्य को किस प्रकार की मदद चाहिए, इसका उल्लेख करें। एक से अधिक मदद की ज़रूरत हो सकती है। उदाहरण के लिए, वित्तीय ऋण, विशेष कौशल प्रशिक्षण, बाजार संवर्धन के लिए समर्थन आदि (संदर्भ टेबल 3)
7. **प्राथमिकता का दर्जा कॉलम में :** यह कॉलम जीपी स्तर पर आयोजित होने वाली समेकन और प्राथमिकता बैठक के दौरान ही भरा जाना चाहिए। जीपी स्तर पर समेकन और प्राथमिकता बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक के दौरान, प्राथमिकता को दर्शाने के लिए रैंकिंग अभ्यास किया जाएगा। **सुनिश्चित करें कि SHG स्तर का डाटा संग्रह के दौरान इस कॉलम को खाली छोड़ दिया जाए।**

